बी.टेक (डेयरी टेक्नालॉजी) प्रवेश नियम 2020

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,रायपुर में वर्ष 2020–21 में स्नातक–स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1.0 सामान्य

ये प्रवेश नियम **बी.टेक.(डेयरी टेक्नालॉजी) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।**

2.0 महाविद्यालय, पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि

2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर इस राज्य का अपनी तरह का एक मात्र महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय के विभिन्न विभागों दुग्ध प्रौद्योगिकी, दुग्ध अभियांत्रिकी, दुग्ध रसायन, दुग्ध सूक्ष्म जीवाणु विभाग, दुग्ध व्यवसाय प्रबंधन विभागों के अंतर्गत दूध एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्कारण के संबंध में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है ।

2.2 महाविद्यालय का पता दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

2.3 पाठ्यक्रम – बी.टेक.(डेयरी टेक्नालॉजी),

2.4 अवधि – 4 वर्ष

3.0 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता

3.1 भारत का नागरिक हो,

3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो

3.3 प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की न्यूनतम आयु प्रवेश विर्ष में कैलेण्डर वर्ष के अनुसार दिनांक 31 दिसंबर को 17 वर्ष से कम तथा 25 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।

कुलसचिव

3.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।

3.5 **न्यूनतम अंक सीमा**

प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रति अंको में उत्तीर्ण की हो।

3.6 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफसेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फारदी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूलसर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे ।

4.0 **उपलब्ध सीटें**

4.1 **राज्य कोटा सीटों का विवरण** बी.टेक (डेयरी टेक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार एवं वर्गवार अनारक्षित एवं आरक्षित सीटों का विवरण निम्नानुसार हैः–

कुलसचिव

श्रेणी	खुली स्पर्धा (ओ. सी)/ अनारक्षित /सामान्य	अनु. जनजाति (एस.टी)	अनु. जाति(एससी)	अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ.बी. सी)(क्रीमीलेयर को छोड़कर)	J&K राज्य के विस्थापित	आई.सी.ए.आर
					1	9
X	13	9	4	4	—	—
F	8	6	2	2	—	—
FF	1	1	0	0	—	—
K	1	1	1	1	—	—
S	1	1	0	1	—	—
D	1	1	0	0	—	—
Total	25	19	7	8	1	9
Grand Total						69

वर्ग F=महिला, K=कृषक, FF=स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, S= सैनिक D= निःशक्तता , X= इन 5 में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग ।

4.2 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, (आई.सी.ए.आर) नई दिल्ली की सीटें

बिन्दु 4.1 में दी गई सीटों के अलावा 09 सीटें आई.सी.ए.आर कोटा के लिये उपलब्ध रहेंगी जिसे आई.सी.ए.आर द्वारा कृषि विषयों हेतु अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2020 (AIEEA) के माध्यम से आई. सी.ए.आर द्वारा आबंटन किया जावेगा ।

5.0 मूल निवासी, आरक्षित सीटें एवं आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं अर्हता

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर विश्वविद्यालय के दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

5.1 मूल निवासी की शर्तें

5.1.1 जो भारत का नागरिक हो

5.1.2 (क) जिसने प्रवेश वर्ष 2020 तक के पांच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो **(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)**

अथवा

कुलसचिव

(ख) जो नीचे दिये गये **स्पष्टीकरण (1)** के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो। **(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)**

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:–

(i) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकार। **(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)**

अथवा

(ii) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। **(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र)**

स्पष्टीकरण–1 छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे ।

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण–2 अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार

कुलसचिव

के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–3 दत्तक पत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे ।

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़ कर)

5.2.1 छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़ कर) के पुत्रों /पुत्रियों के लिए क्रमशः 12, 32, एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण उपलब्ध होगा। **आरक्षण संबंधित प्रवेश के नियम समय–समय पर छत्तीसगढ़ राज्य की** घोषणा के अनुसार ही होंगे ।

5.2.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबधी पात्रता का दावा करता है उसे समय–समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं /अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधी दस्तावेजों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेश लागू होंगे ।

कुलसचिव

5.3 कृषक

5.3.1 सभी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा।

सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थाई कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण लागू होगा लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मैरिट में आता है लेकिन किन्ही कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नही लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नही दिया जा सकता है। तथापि उसकी मैरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। **अभ्यार्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने।**

5.3.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा, जिन्होंने प्राथमिक (पांचवी) माध्यमिक (कक्षा आठवी) मैट्रिक/हाई स्कूल (कक्षा दसवीं) तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारहवीं) में से कोई दो परीक्षायें ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हों। यह नियम स्वाध्यायी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू होगा ।

5.3.3 शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

5.4.1 सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा ।

5.4.2 इस वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने हेतु वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हों, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा

5.4.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.5 महिला

सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी)महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत होरिजन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा ।

5.6 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग

5.6.1 जम्मू कश्मीर के ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश वर्ष के जनवरी माह अथवा उसके पूर्व की किसी तिथि से निवास कर रहे हैं,के पुत्र/पुत्रियों के लिये बी.टेक.(डेयरी टेक्नालॉजी) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में वर्तमान प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त **एक सीट** आरक्षित है।

5.6.2 इस वर्ग के प्रत्याशियों की छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा पृथक से मैरिट सूची तैयार की जावेगी । इस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.6.3 इस वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारयों एवं कर्मचारियों के पुत्र /पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू कश्मीर राज्य आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण के लिये की गई हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5.7 विकलांग उम्मीदवार

5.7.1 ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग हों, उनके लिये सीटों का आरक्षण शासन के नियमानुसार होगा।

5.7.2 इन सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of

India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगें ।

5.8 **प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक):–**

सभी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक (सैनिक/भूतपूर्व सैनिक) के पुत्र/पुत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। जिसके लिए छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं । प्रतिरक्षा सेवा कार्मिक सैनिक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिलों के कलेक्टर से **प्रारूप–6 (ए एवं बी)** में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.0 प्रवेश प्रकिया

6.1 बी.टेक. (डेयरी टेक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची के विषय क्रमशः गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के कुल प्राप्ताकों की मेरिट के आधार पर किया जावेगा। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने पर गणित के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। गणित के प्राप्तांक समान होने पर भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। भौतिक विज्ञान के प्राप्तांक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जावेगा। इसके उपरांत भी समान प्राप्तांक होने पर अधिक उम्र वाले प्रवेशार्थी को प्राविण्यता दी जावेगी।

6.2 प्रावीण्यता सूची घोषित होने के पश्चात प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर की जावेगी ।

6.3 प्रवेश का अवसर लेने हेतु विस्तृत कौंउन्सिलिंग कार्यक्रम की तिथि की जानकारी राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जावेंगी और प्रवेश हेतु प्रवेश का अवसर लेने हेतु पृथक से बुलावा पत्र (Call Letter) नही भेजा जावेगा। प्रवेश की कौन्सिलिंग कार्यक्रम की तिथि के संबंध में जानकारी दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर. कामधेनु विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.cgkv.ac.in पर भी उपलब्ध कराई जावेगी ।

कुलसचिव

6.4 रिक्त सीटों पर प्रवेश

6.4.1 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

6.4.2 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे।

6.4.3 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के निल पुरूषों से की जायेगी।

6.5. 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर)के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण की हो।

6.5.1 छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवार न होने की दशा में राज्य के बाहर/अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवीणता के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़ कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही पात्र होंगे)। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों हेतु संबंधित राज्य द्वारा आयोजित (बोर्ड) 10+2 की (उपरोक्त वर्णित विषयों के साथ) परीक्षा मान्य होगी।

6.5.2 महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त स्थान रिक्त रहने पर उन्हें नियमानुसार भरने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा क्योंकि विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पद्धति से पढ़ाई होती है।

कुलसचिव

7.0 प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि

7.1 आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा, **परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में हॉरीजन्टल आरक्षण के अंतर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा ।**

7.2 आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को सामान्य निल श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण

प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम में संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणें की पुष्टि हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र कौंउसिलिंग के समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे।

(i) 10वीं की अंक सूची

(ii) 12वीं की अंक सूची

(iii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र

(v) जाति प्रमाण पत्र

(iv) आय प्रमाण पत्र

(vi) वर्ग संबंधित प्रमाण पत्र

(vii) स्थानांतरण प्रमाण पत्र

(viii) अंतराल प्रमाण पत्र

(ix) प्रवजन प्रमाण पत्र

कुलसचिव

(x) चरित्र प्रमाण पत्र

(xi) चिकित्सा प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्रों के छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होंगें ।

9.0 अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्तें एवं जानकारियाँ

9.1 आवेदक को उसी श्रेणी के अंतर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

9.2 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़, शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9.3 उम्मीदवार द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

9.4 यदि महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यार्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता हैं, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा/जानकारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निष्काषित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यार्थी स्वयं/महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।

9.5 दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर में रैगिंग पूर्णतः निषेध है ।

10.0 प्रवेश निरस्तीकरण

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद

कुलसचिव

खड़ा होता है तो उसके निराकरण का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा । प्रवेश नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को होगा ।